

No: EDN-U(Elem) (E-V) 3%Trs -2021- 4785-87  
Office of the ,  
Deputy Director Elementary Education Una, Distt Una (HP)  
Dated: 04 / December /2021

**OFFICE ORDER**

With the prior approval of the Govt. as conveyed by the Director of Elementary Education H.P. Shimla letter Number Shiksha- (Pra. Shi.)E-3-B(6)/2019/ / Kangra/Una Dated 25.11.2021, **Sh Ram Kumar, Shastri GMS Chaplah U/C GSSS Rakkar Distt. Kangra** has been transferred to Una Distt under inter Distt transfer policy (5% Quota) without TTA/JT in relaxation of ban on transfers is hereby **adjusted in GHS Deoli Distt Una** with immediate effect on the terms & conditions as mentioned overleaf .

  
Deputy Director Elementary Education,  
Una Distt Una (H.P.)

Endst No Even

Dated Even

Copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Director of Elementary Education HP Shimla for information please.
2. The Deputy Director Elementary Education Kangra at Dharmshala (HP)
3. The Headmaster GHS Deoli Distt Una (HP).
4. The Principal GSSS Rakkar Distt Kangra (HP)
5. The individual concerned.

Deputy Director Elementary Education,  
Una Distt Una (H.P.)  


## Terms & Conditions for inter District Transfer

1. अन्तर जिला स्थानान्तरण अध्यापक के पूरे सेवाकाल में सिर्फ एक बार ही किया जायेगा।
2. अन्तर जिला स्थानान्तरण होने के उपरान्त अध्यापक/ अध्यापिका का पैतृक जिला के लिए प्रत्यावर्तन बारे अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।
3. अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु अनुरोध तभी स्वीकार्य होगा यदि सम्बन्धित जिला में पांच % कोटा उपलब्ध हो।
4. अन्तर जिला स्थानान्तरण इस शर्त पर होगा कि जिला को अध्यापक जाना चाहता है वहां पर पद रिक्त हो।
5. अन्तर जिला स्थानान्तरण के फलस्वरूप अध्यापक / अध्यापिका को उसकी पिछले जिला की वरिष्ठता खोनी पड़ेगी।
6. अन्तर जिला स्थानान्तरण उपरान्त अध्यापक को दूसरे जिला में कार्यग्रहण की तिथि से वरिष्ठता प्रदान की जाएगी तथा उस तिथि को जिला की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा।
7. दूसरे जिले में स्थानान्तरण पर जाते समय अध्यापक को कोई यात्रा भत्ता / कार्यग्रहण अवधि देय नहीं होगी।
8. अन्तर जिला स्थानान्तरणपर अध्यापक को पैतृक जिला के दूसरे जिला के लिए तभी कार्यभार मुक्त किया जाएगा, यदि दूसरे जिला में पद रिक्त हो। रिक्त पद की सूचना जिस जिला के लिए अध्यापक स्थान्तरित है, के उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा उस जिला के उप निदेशक को दी जाएगी जहां से अध्यापक स्थानान्तरित कार्यभार मुक्त होना चाहता है।

Deputy Director Elementary Education  
Una District Una (HP)